

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/> E-mail : adjaipurzone.cce@gmail.com

Phone : 0141-2706106(0)

पत्रांक: एफ4(101) क्षे0का0ज0/आकाशि/2020/15

दिनांक : 12.02.2020

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय (समस्त)
राजस्थान।

विषय: विद्यार्थी हित-केन्द्री अथवा संस्था/संकाय सदस्य विकास हेतु राजकीय महाविद्यालयों द्वारा क्रियान्वित/प्रारम्भ किये गये श्रेष्ठ कार्य (Best Practice)/कार्यक्रम/नवाचार (1.7.2019-31.1.2020) की जानकारी प्रेषित करने बाबत।


राजकीय महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थी हित-केन्द्री अथवा संस्था/संकाय सदस्य विकास हेतु क्रियान्वित/प्रारम्भ किये जा रहे श्रेष्ठ कार्य (Best Practice)/कार्यक्रम/नवाचार (1.7.2019 से 31.1.2020 तक) के बारे में सूचना अपेक्षित है। महाविद्यालयों से श्रेष्ठ कार्य (Best Practice)/कार्यक्रम/नवाचार के बारे में प्राप्त सूचना को आयुक्तालय स्तर पर गठित समिति से परीक्षण करवाकर यथा संभव अधिकाधिक संख्या में चयनित श्रेष्ठ कार्य (Best Practice)/कार्यक्रमों/नवाचारों को एक विशेष ई-डॉक्यूमेण्ट के रूप में प्रकाशित करवाकर इसे माह मार्च 2020 के अन्तिम सप्ताह में जयपुर में विमोचन करवाया जाना प्रस्तावित है।

अतः सभी राजकीय महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस पत्र के साथ संलग्न सूचना प्रारूप के अनुरूप महाविद्यालय में क्रियान्वित श्रेष्ठ कार्य (Best Practice)/कार्यक्रम/नवाचार के बारे में दिनांक 20 फरवरी 2020 तक आवश्यकरूप से सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यह सूचना आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर की bestpractice.cce@gmail.com मेल पर प्रेषित करें। इस प्रयोजनार्थ एक महाविद्यालय अधिकतम 03 प्रस्ताव ही भेज सकता है। संलग्न प्रारूप में जानकारी भरकर बिन्दु संख्या 05 में दिये गये बिन्दुओं के आधार पर पृथक-पृथक प्रस्ताव भेजें। प्रस्ताव में बिन्दुवार उल्लेख निम्न आधार पर किया जा सकता है-

- 1-विद्यार्थी हित-केन्द्री Best Practice/कार्यक्रम/नवाचार
- 2-संस्था-केन्द्रित Best Practice/कार्यक्रम/नवाचार
- 3-संकाय सदस्य- Best Practice/कार्यक्रम/नवाचार
- 4-अन्य कोई प्रयास।

अतः सभी राजकीय महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस पत्र के साथ संलग्न सूचना प्रारूप के अनुरूप महाविद्यालय में क्रियान्वित श्रेष्ठ कार्य (Best Practice)/कार्यक्रम/नवाचार (अधिकतम 03 प्रस्ताव) के बारे में दिनांक 20 फरवरी 2020 तक आवश्यकरूप से सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यह सूचना आयुक्तालय कालेज शिक्षा जयपुर की bestpractice.cce@gmail.com पर प्रेषित करें।

आवश्यकता होने पर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर में कार्यलय समय में AD Jaipur डॉ. पद्मश्री पटनायक से कार्यलय समय में मोबाईल नं. 9414182061 अथवा डॉ. सुनील कुमार, मोबाईल नं. 9828020259 अथवा डॉ. अंजू सुथार मोबाईल नं. 9413307483 पर सम्पर्क करें।


प्रदीप कुमार बोरड, IAS

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

वेबसाइट प्रभारी को अपलोड हेतु।
पद्मश्री पटनायक
AD Jaipur Zone.

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर

विद्यार्थी हित-केन्द्री अथवा संस्था/संकाय सदस्य विकास हेतु राजकीय महाविद्यालयों द्वारा क्रियान्वित/प्रारम्भ किये गये श्रेष्ठ कार्य (Best Practuce)/कार्यक्रम/नवाचार की 01.07.2019 से 31.01.2020 जानकारी प्रेषित करने का प्रारूप

1. महाविद्यालय का नाम : _____
2. स्थान का नाम एवं जिला : स्थान _____ जिला _____
3. क्या महाविद्यालय 2f एवं 12B मान्यता प्राप्त है? : 2f: हाँ नहीं 1: हाँ
4. महाविद्यालय द्वारा क्रियान्वित/प्रारम्भ किया गया श्रेष्ठ कार्य (Best Practice) / कार्यक्रम/नवाचार का नाम (अधिकतम 03 उल्लेख करें)
 1. _____
 2. _____
 3. _____
5. प्रत्येक क्रियान्वित/प्रारम्भ किये गये श्रेष्ठ कार्य (Best Practice) / कार्यक्रम/नवाचार का विवरण निम्न आधार पर प्रेषित करें। (अधिकतम 03 के बारे में ही लिखना है।
 - A. Best Practice / नवाचार के प्रारम्भ होने की तिथि एवं वर्ष
 - B. Best Practice / नवाचार को प्रारम्भ करने का उद्देश्य
 - C. क्रियान्वयन की रूपरेखा/योजना प्रारूप
 - D. वित्तीय संसाधन: आवश्यकता स्रोत एवं व्यय
 - E. Best Practice / नवाचार से लाभार्थी कौन? (विद्यार्थी/संकाय/सदस्य/संस्था/समाज).
 - F. Best Practice / नवाचार की क्रियान्विति में संलग्न मानव संसाधन (प्रत्येक कार्यक्रमवार संलग्न व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करें)
 - G. क्रियान्वयन के दौरान चिन्हित समस्याएं एवं समाधान :
 - H. क्रियान्वयन से लाभ/उपलब्धि :
 - I. Best Practice / नवाचार की लाभार्थी वर्ग तक जानकारी पहुंचाने हेतु किये गये प्रचार प्रसार का माध्यम एवं पुनरावृत्ति।
 - J. Best Practice / नवाचार का फोटो/वीडियो रिकार्ड हो तो संलग्न करें।
 - K. Best Practice / नवाचार के लिये किसी विभाग/संस्था/गणमान्य व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रशस्ति पत्र अथवा सार्वजनिक उल्लेख।
 - L. लाभार्थी वर्ग की प्रतिक्रिया।
 - M. अन्य प्रतिक्रियाएं।
 - N. विशेष उल्लेख।

- नोट: 1. इस विवरण के साथ सम्बन्धित Best Practice / नवाचार के विवरण के साथ साफ छवि (High Resolution) के अधिकतम 02 Photographs अवश्य संलग्न करें।
2. आयुक्तालय स्तर पर गठित समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त चयनित महाविद्यालयों की Best Practice नवाचार को e-document में प्रकाशित किया जायेगा।
3. उपरोक्त कम 05 पर दिये गये बिन्दुओं के आधार पर अधिकतम 03 Best Practice / नवाचार का विवरण इस फॉर्मेट के साथ प्रेषित करें।

हस्ताक्षर प्राचार्य मय सील